श्रीकृष्ण बनाम राज. सरकार

प्र.सं. 163/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/12/2025	प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 136 राज.लै.रे.एक्ट के पेश किया। प्रार्थी प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 2/12/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
2/12/2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उप. पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार (भू.अ.) बांदीकुई के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/2244 दिनांक 12/11/2025 की रिपोर्ट संलग्न है प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के बयान दर्ज किये गये। प्रार्थी की बहस सुनी। बहस पर मनन किया। अतः प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रा.पत्र नाम शुद्धि अंतर्गत धारा 136 रा.लै.रे.एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। 02/12/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 163 / 2025
प्रकरण दायर दिनांकः—01.12.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः—02.12.2025

उनवान

1. श्रीकृष्ण पुत्र रामसहाय गुर्जर जाति गुर्जर निवासी सुमेलकलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बांदीकुई

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र नाम शुद्धि अन्तर्गत धारा 136 रा0 लै0 रे0 एक्ट

निर्णय दिनांक 02.12.2025

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का नाम जमाबंदी में श्रीकिशन पुत्र रामसहाय दर्ज है। तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेज में श्रीकृष्ण पुत्र रामसहाय है। प्रार्थी अपना नाम शुद्ध करवाना चाहता है। प्रार्थी को उसका वास्तविक नाम श्रीकृष्ण पुत्र रामसहाय होने पर राहत मिलेगी। मुझ प्रार्थी का नाम खाता संख्या 145, 144, 146, 166, 96, 97, 98 में नाम अशुद्ध दर्ज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का नाम जमाबंदी में श्रीकिशन पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर के स्थान पर श्रीकृष्ण पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार (भू.अ.) बांदीकुई के पत्र कमांक / भू.अ. / 2025 / 9944 दिनांक 12.11.2025 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसके अनुसार ग्राम सुमेल कलां की जमाबंदी की खाता संख्या 144, 145, 146, 166, 96, 97,98 में प्रार्थी का नाम श्रीकिशन पुत्र रामसहाय दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम श्रीकृष्ण पुत्र रामसहाय है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहस सुनी। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व जमाबंदी संवत् 2076—2079 में प्रार्थी का नाम श्रीकिशन पुत्र रामसहाय सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम श्रीकृष्ण पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 98 पुरानी 96 कुल किता 3 कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 97 पुराना 97 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 96 पुराना 95 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 166, पुराना 165 कुल किता 01 कुल रकबा 0. 1300 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 146 पुराना 138 कुल किता 04 कुल रकबा 0.9200 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 145 पुराना 137 कुल किता 18 कुल रकबा 7.4400 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 144 पुराना 136 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.5000 हैक्टेयर ग्राम सुमेलकलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज नाम श्रीकिशन पुत्र रामसहाय को हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम श्रीकृष्ण पुत्र रामसहाय दर्ज किया जावें। तहसीलदार बॉदीकुई राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

02/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई